न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 28 / 2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. शम्भु पिता स्व. भाणजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
2. गौतम पिता स्व. धारजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
3. रामचन्द्र पिता स्व. धारजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
4. रमेश पिता स्व. धारजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
5. अमरा पिता स्व. हीरजी, जाति भील, निवासी साकरापाड़ा (झांझोर), तहसील घाटोल
6. लक्ष्मण पिता स्व. गलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
7. धमेन्द्र पिता स्व. गलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
8. रमेश पिता स्व. गलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
9. बहादुर पिता स्व. गलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
10. रंगजी पिता स्व. नानका, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
11. मणीलाल पिता स्व. नानका, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
12. प्रताप पिता स्व. नानका, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
13. सोहन पिता स्व. नानका, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
14. शांति पिता स्व. नानका, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
15. वजेंग पिता स्व. नानका, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, गांव झांझोर, ग्राम पंचायत कण्ठाव नई, आबादी झांझोर, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भेरा पिता स्व. कमजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
2. विक्रम पिता स्व. कमजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
3. नारायण पिता स्व. मोगजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
4. प्रभु पिता स्व. मोगजी, जाति भील, नि. टिम्बु–डाबरा, तह. धरियावद, जिला प्रतापगढ़
5. रमेश पिता स्व. मोगजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
6. छगन पिता स्व. लसीया, जाति भील, निवासी साकरापाडा, तहसील घाटोल
7. सूर्या पिता स्व. लसीया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
8. शंकर पिता स्व. लसीया, जाति भील, निवासी साकरापाडा, तहसील घाटोल
9. चम्पालाल पिता स्व. लसीया, जाति भील, निवासी साकरापाडा, तहसील घाटोल
10. प्रताप पिता स्व. लसीया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
11. कोदर पिता स्व. लसीया, जाति भील, निवासी साकरापाडा, तहसील घाटोल
12. मृतक नारायण पिता स्व. धूलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा के बजाय :–

12 / 1. राजु पिता स्व. नारायण, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल

12 / 2. श्रीमती दरिया पत्नी स्व. नारायण, जाति भील, नि. रूपजी का खेड़ा, तह. घाटोल

13. विमल पिता स्व. धूलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

14. मोहन पिता स्व. धूलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
15. हुरजी पिता स्व. धूलजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
16. मनोहर पिता स्व. भोगजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
17. कान्ति पिता स्व. केशिया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
18. शंकर पिता स्व. केशिया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
19. जयन्ति पिता स्व. केशिया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
20. किशन पिता स्व. पुजिया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
21. अर्जुन पिता स्व. पुजिया, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
22. शांति पिता स्व. भाणजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल
23. गोपाल पिता स्व. भाणजी, जाति भील, निवासी रूपजी का खेड़ा, गांव झांझोर, ग्राम पंचायत कण्ठाव नई, आबादी झांझोर, जिला बांसवाड़ा (राज.)
24. तहसीलदार, तहसील कार्यालय घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल प्रकरण संख्या 65/2016 दिनांक 12.07.2017

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u>
1. श्री डी. के. निगम अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री गणेशलाल अहारी अभि.रे.सं. 1,3,5,14,15,17,18,19,20,22,23
3. श्री मोहनलाल मईडा अभिभाषक रे.सं. 6 से 11
4. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 24

———:::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 16—01—2023</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम साकरापाडा, रेवेन्यू विलेज झांझोर, पटवार हल्का कण्ठाव झांझोर, तहसील घाटोल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल आराजियात 31 रकबा 10.65 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार थे। उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मावजी के समय से उनके जीवनकाल में निकाली गयी थी, जिस पर मावजी के समय से उनके उत्तराधिकारियों का कब्जा चला आ रहा है एवं पारिवारिक व्यवस्था अनुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की भूमि पर खेती कर रहे हैं। मावजी के तीन पुत्र लालजी, गौतम व कालिया हुए। तीनों का देहावसान हो चुका है। वक्त आवंटन लालजी बड़ा भाई होने से उनके नाम आवंटन किया गया, परन्तु वास्तव में तीनों भाईयों का कब्जा होकर उनके उत्तराधिकारी 1/3, 1/3 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 22 व 23 कालिया के वारिस होकर उनका विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा है, किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण का नाम खाते में चढ़वाने से मना कर रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारों के भौतिक विभाजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के पक्ष में 1/3 हिस्से के डिक्री जारी की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 21 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर निर्णय दिनांक 12–07–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 अभिभाषक श्री गणेशलाल अहारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 11 की ओर वकील श्री मोहनलाल मईडा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 24 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4, 12/1, 12/2, 13, 16 व 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी तथ्य का विवेचन नहीं किया है, न ही साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि अपीलान्ट/वादीगण ने अपने वाद को साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वाद में 24 प्रतिवादी हैं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में सिर्फ 17 व्यक्तियों को दर्शाया गया है तथा डिक्री में 16 व्यक्तियों को दर्शाया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तकनीकि रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2017 अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादीगण विवादित आराजियात में 1/3 हक हिस्सा होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

कथन करते हैं, जबकि विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी लालजी को आवंटित हुई होकर उनके खाते में दर्ज है। अपीलान्ट ने कुल 31 खसरा नंबरों बाबत् वाद प्रस्तुत किया है, इसमें से कौन सी भूमि आवंटित हुई है एवं कौन सी भूमि पैत्रृक है यह अपने वाद में अथवा अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। अपीलान्ट विवादित भूमि मावजी के समय की होना बताते हैं, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि भूमि मावजी के समय की होकर उनके पैत्रृक भूमि हो। अपीलान्ट/वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

शम्भु पिता स्व. भाणजी, जाति भील निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**भेरा पिता स्व. कमजी, जाति भील निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**28/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....12**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**...माह.....**01**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री डी.के. निगम**..मिनजानिब अपीलान्ट ..**श्री गणेशलाल अहारी/मोहनलाल मईडा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**01**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:48 IST
Reason: SelfAttested